दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

आ.प्र.अ.(मू.प.)120/2023 और सि.वि.आ. 59077/2023 सि.वि.आ. 11869/2024

सिराजुद्दीन कुरैशी ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अरुण भारद्वाज, श्री जावेद अहमद के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तागण, मोहम्मद यूनुस, श्री कर्ण भारद्वाज और सुश्री आकृति आदित्य

बनाम

मतलूब अहमद और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री प्रवीण कुमार, श्री नमन मित्तल और श्री लाभांश मित्तल,
प्रत्यर्थीगण-1 और -2 के लिए अधिवक्तागण, श्री कीर्ति उप्पल,
श्री मो. अमानुल्लाह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मिस्बाह बिन तारिक,
सौम्या भौनिक, श्री अजहर अली, डॉ. शबीना अंजुम और सुश्री निशु खान,
प्रत्यर्थीगण 3 से 9 के अधिवक्तागण
न्यायालय पर्यवेक्षक के लिए सुश्री अंशु डावर

आ.प्र.अ. (मू.प.)110/2023 और सि.वि.आ. 54027/2023

जमशेद जैदी ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री संजीव सागर और सुश्री नाजिया परवीन, अधिवक्तागण

बनाम

मतलूब अहमद और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: प्रत्यर्थी-1 और प्रत्यर्थी-2 के लिए अधिवक्ता गण, श्री प्रवीण कुमार, श्री नमन मित्तल और श्री लाभांश मित्तल

राज्य के लिए अधिवक्तागण श्री संजीव भंडार, अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता(आप.) सुश्री अन्विता भंडारी, श्री कुणाल मित्तल, श्री अरिजीत शर्मा और

श्री वैभव वत्स,

श्री मो. अमानुल्लाह, श्री मिस्बाह बिन तारिया, श्री नदीम खान, श्री सौम्या भौनिक, श्री अजहर अली और डॉ. शबीना अंजू प्रत्यर्थी गण 3, 5 से 8 के लिए अधिवक्तागण

आ.प्र.अ. ((मू.प.)123 /2023 और सि.वि.आ. 59919/2023 सि.वि.आ. 59920/2023 श्री सिकन्दर हयात और अन्य .....अपीलार्थी

द्वारा :

बनाम

श्री मतलूब अहमद और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री प्रवीण कुमार, श्री नमन मित्तल और श्री लाभांश मित्तल, प्रत्यर्थी -1 और प्रत्यर्थी -2 के अधिवक्तागण श्री मो. अमानुल्लाह, मिस्बाह बिन तारिया, नदीम खान, सौम्या भौनिक,

अजहर अली और डॉ. शबीना प्रत्यर्थी
3, 5 से 8 के लिए अधिवक्तागण

सुरक्षित किया गया : 7 मार्च, 2024
निर्णय तिथि: 02 अप्रैल, 2024

कोरम:
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

1. वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की धारा 10 के तहत अलग-अलग व्यक्तियों (जिन्हें वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था) द्वारा दायर की गई है अधिनियम, 1966 आदेश XLIII नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) के साथ पढ़ा दिनांक 10 जून, 2005 के आदेश से व्यथित हो रहा है। 10अक्टूबर, 2023 ('आक्षेपित आदेश') सिविल वाद (मू.प.)331/2023 में अं.सं. 12600/2023, 16240/2023, 10160/2023 और 11575/2023 का निपटान करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

2. शुरुआत में यह नोट किया जाता है कि सभी पक्षों ने आ.प्र.अ. ((मू.प.)120/2023 की पेपर बुक के संदर्भ में अपनी प्रस्तुतियाँ दीं।

3. वर्तमान अपील एक सिविल वाद यानी सि.वा. (मू.प.)331/2023 से निकलती है, जो सोसाइटी के न्यासी बोर्ड ('बीओटी') के कामकाज से व्यथित इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ('सोसाइटी') के दो सदस्यों द्वारा दायर की गई है। वाद में वादी अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने निर्देश मांगे, *अन्य बातों के साथ-साथ,* सरकार ने नए सिरे से चुनाव कराने और 24 मई 2024 को विशेष आम सभा की बैठक (एसजीबीएम) बुलाने के विरुद्ध रोक लगाने के लिए एक निर्णय लिया है ।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 10 अक्टूबर 2023 के आदेश के तहत एक न्यायालय पर्यवेक्षक को प्रशासक के समान शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए नियुक्त किया, जो उक्त आदेश के पैराग्राफ 20 (क) से (ज) में सूचीबद्ध है।

5. आ.प्र.अ. ((मू.प.)120/2023 और आ.प्र.अ. ((मू.प.)123/2023 में अपीलार्थी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आरोपित आदेश के पैराग्राफ 20(ग) द्वारा जारी रोक से व्यथित हैं और उन्होंने उक्त रोक को हटाने की मांग करते हुए वर्तमान अपील दायर की है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 23 मई, 2023 के पहले के अंतरिम आदेश द्वारा 09 मई, 2023 के नोटिस के तहत संगम ज्ञापन ('एमओए') में संशोधन प्रस्तावित करने वाले एजेंडे के लिए एसजीबीएम बुलाने पर रोक लगा दी थी। संगम ज्ञापन में संशोधन के प्रस्तावित एजेंडे के संबंध में उक्त रोक को आरोपित आदेश के पैराग्राफ 20(ग) के तहत जारी रखा गया है।

6. आ.प्र.अ. ((मू.प.) 110/2023 में अपीलार्थी आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 20 (घ) में वित्तीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए न्यायालय पर्वेक्षक को जारी निर्देश से व्यथित है और उक्त निर्देशों को रद्द करने की मांग की है।

7. प्रासंगिक रूप से, न्यायालय पर्यवेक्षक पैराग्राफ में आक्षेपित आदेश द्वारा 20 (ख) को सदस्यता लेखा परीक्षा आयोजित करने, सदस्यों की एक [सत्यापित] सूची और 'सोसाइटी' के मतदाताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय पर्वेक्षक ने आ.प्र.अ. ((मू.प.)120/2023 में सि.वि.आ.11869/2024 दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा आयोजित सदस्यता ऑडिट के अनुसरण में लगभग 1835 सदस्यों की एक अस्थायी मतदाता सूची तैयार की गई है। इस आवेदन में, न्यायालय ने सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने और 10 तारीख के आक्षेपित आदेश के जनादेश के 10 अक्टूबर,2023 अनुसार चुनाव कराने के लिए इस न्यायालय की अनुमति मांगी है।

अपीलार्थी की दलीलें

8. आ.प्र.अ. ((मू.प.) 120/2023 में अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण भारद्वाज ने कहा कि अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 10 जून, 2023 को लिखित रूप में वैध मांगपत्र रिकॉर्ड में रखने के लिए अंतर.आ. 11575/2023 दायर किया था, जिस पर सोसायटी के 180 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एसजीबीएम आयोजित करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि उक्त वैध मांगपत्र प्राप्त होने पर, अपीलार्थी

राष्ट्रपति के रूप में अपनी क्षमता में एमओए के अनुच्छेद 16 (ग) (झ) के अनुसार एसजीबीएम आयोजित करने के लिए बाध्य था।

8.1. उन्होंने कहा कि शिकायत में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा उठाई गई आपत्ति कि 09 मई, 2023 की पिछली सदस्य मांग अपूर्ण थी क्योंकि उस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे, अब 10 जून, 2023 की नई वैध मांग जारी होने के साथ ही संबोधित हो गई है। उन्होंने कहा कि उक्त तथ्य को अंतर सं. 11575/2023 दाखिल करके विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विधिवत रिकॉर्ड में लाया गया था। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त नई तथ्य स्थिति पर विचार-विमर्श किए बिना ही उक्त आवेदन का निपटारा कर दिया है और 23 मई, 2023 के आदेश के तहत शुरू में जारी प्रतिबंध को जारी रखा है।

8.2. उन्होंने कहा कि संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 9 (क) के अनुसार जनरल बॉडी सोसाइटी का सर्वोच्च प्राधिकरण है और न्यायालय संगम ज्ञापन के संशोधन के एजेंडे पर विचार करने के लिए एक सामान्य बैठक आयोजित करने पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दे सकते हैं, यदि बैठक सोसाइटी को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों के अनुसार बुलाई जाती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16 (ड.) (झ) के अनुसार, संगम ज्ञापन के लेखों और सोसाइटी के नियमों और विनियमों में संशोधन, संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति विशेष रूप से आम सभा के पास है। उन्होंने कहा कि चूंकि सदस्यता ऑडिट अब न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा पूरा कर लिया गया है, इसलिए विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा आरोपित आदेश के पैराग्राफ 20 (ग) में जारी प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए और न्यायालय पर्यवेक्षण को 10 जून, 2023 के आदेश के अनुसार एसजीबीएम आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, ताकि आम सभा संगम ज्ञापन के लेखों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श और मतदान कर सके।

8.3. उन्होंने कहा कि मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि सि.प्र.सं. की धारा 92 के तहत 23 मई, 2023 के आदेश के तहत दी गई अनुमति अमान्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 3 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 ('1860 का अधिनियम') के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है और न्यास नहीं है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त कारणों से, वाद को खारिज करने के लिए आदेश VII नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन, अंतर.सं.16241/2023 दायर किया गया है।

9. श्री बहार यू. बरकी, आ.प्र.अ. (मू.प.) 123/2023 में व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी संख्या 3 ने कहा कि दिनांक 10 जून, 2023 के अनुरोध पर 180 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर्यवेक्षण द्वारा किए गए सदस्यता लेखा परीक्षण के अनुसार, 180 में से 116 की सदस्यता की पुष्टि की गई है और उन्हें वैध पाया गया है। उन्होंने कहा कि संगम ज्ञापन के खंड 16 (ग) (झ) के अनुसार, 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर एसजीबीएम आयोजित किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि

उक्त आवश्यकता विधिवत पूरी की गई है और इसलिए, यह अनिवार्य है कि एसजीबीएम बुलाया जाए।

9.1. उन्होंने कहा कि एसजीबीएम में मांग के अनुसार संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में प्रस्तावित संशोधनों की मंजूरी या अस्वीकृति के अधीन, न्यायालय पर्यवेक्षक इसके बाद चुनाव कराने के लिए एजीएम बुला सकता है।

9.2. उन्होंने कहा कि यहां भी अपीलार्थीयों ने शिकायत को खारिज करने के लिए अंतर. सं. 16263/2023 दायर की है, क्योंकि सि.प्र.सं. की धारा 92 के तहत दायर किया गया मुकदमा प्रत्यर्थी संख्या 3, सोसायटी के खिलाफ चलने योग्य नहीं है।

10. आ.प्र.अ(मू.प.) 110/2023 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव सागर ने कहा कि अपीलार्थी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित आदेश के पैराग्राफ 20(घ) में जारी निर्देश से व्यथित है, जिसमें न्यायालय पर्यवेक्षण को सोसायटी की आय और व्यय के संबंध में वित्तीय लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय लेखा परीक्षण का निर्देश प्रार्थना (ख) में मुकदमे में मांगी गई अंतिम राहत थी। उन्होंने कहा कि वित्तीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के निर्देशों को सही ठहराने के लिए कोई आधार और कारण नहीं हैं।

10.1. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार न्यायालय पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके और सोसायटी का प्रबंधन प्रभावी रूप से उन्हें सौंपकर न्यायालय ने वाद की प्रार्थना

(क) की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि वादी द्वारा अन्तर.आ. सं. 12600/2023 में प्रशासक की नियुक्ति की राहत मांगी गई थी। हालांकि, उक्त आवेदन में प्रत्यर्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और इसलिए, आक्षेपित आदेश में अंतर.सं. 12600/2023 में प्रार्थना की गई राहत का अनुदान गलत है।

प्रत्यर्थीगण के तर्क

11. जवाब में, श्री कीर्ति उप्पल, आ.प्र.अ. (मू.प.)120/2023 में प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 और 7 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह बीओटी का गठन करने वाले अधिकांश सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि बीओटी का गठन संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 10 के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि सनागम ज्ञापन के अनुच्छेद 12 (घ) के तहत, संगम ज्ञापन के लेखों में संशोधन का अधिकार विशेष रूप से बीओटी के पास है। उन्होंने कहा कि आम सभा द्वारा अनुमोदित अनुच्छेदों में किसी भी संशोधन को बीओटी के समक्ष रखा जाना चाहिए और उसके बाद, बीओटी प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि यह संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16 (ड.) (झ) की भाषा से स्पष्ट है।

11.1. उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 और 7 वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के रुख का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि 09 मई, 2023 और 10 जून, 2023 की मांगों के माध्यम से सदस्यों द्वारा संगम ज्ञापन में प्रस्तावित संशोधन सोसायटी के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आ.प्र.अ.(मू.प.)120/2023 में अपीलार्थी वर्ष 2004 से सोसायटी का अध्यक्ष है और उसे संगम ज्ञापन के

अनुच्छेद 8(घ) में मौजूद आयु प्रतिबंध में संशोधन का प्रस्ताव देकर सोसायटी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि उक्त अपीलार्थी आपराधिक कार्यवाही का भी सामना कर रहा है और इसलिए सोसायटी का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

11.2. उन्होंने कहा कि अपीलार्थी ने संगम ज्ञापन के उल्लंघन में मतदाता आधार का विस्तार किया था और न्यायालय पर्यवेक्षण द्वारा बताए गए रौल्स पर 3676 विषम सदस्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर्यवेक्षक ने तब से एक लेखा परीक्षा किया गया और 1835 सदस्यों को सत्यापित किया। उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि प्रत्यर्थीगण न्यायालय पर्यवेक्षण द्वारा किए गए सदस्यता लेखा परीक्षण अभ्यास से संतुष्ट हैं।

11.3. उन्होंने कहा कि आक्षेपित आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एक सहमति आदेश था और इसलिए, उक्त सहमति आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान अपीलें सुनवाई योग्य नहीं हैं।

11.4. कुछ तर्कों के बाद, उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि न्यायालय पर्यवेक्षक को 10 जून, 2023 की आवश्यकता के अनुसार सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एजेंडे के लिए एसजीबीएम बुलाने का निर्देश दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि, एसजीबीएम को न्यायालय पर्यवेक्षक की प्रत्यक्ष देखरेख में बुलाया और संचालित किया जाना चाहिए और मतदान के अधिकार न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित 1835 सदस्यों तक सीमित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि

हालांकि, एसजीबीएम में प्रस्तावित और अनुमोदित संशोधनों को संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 12 (घ) और 16 (ड.) (झ) के अनुसार स्वीकृति के लिए बीओटी के समक्ष रखा जाना है।

12. आ.प्र.अ. (मू.प.)120/2023 में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रवीण कुमार ने कहा कि 23 मई, 2023 के प्रारंभिक अंतरिम आदेश को वर्तमान अपीलों में चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए, चुनौती दिए गए आदेश के पैराग्राफ 20 (ग) में दिए गए निर्देश को चुनौती देने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अपील यानी आ.प्र.अ. (मू.प.)120/2023 के समर्थन में हलफनामा 17 अक्टूबर, 2023 का है। हालांकि, वर्तमान अपील देरी से दायर की गई थी और पहली बार 16 नवंबर, 2023 को सूचीबद्ध की गई थी। उन्होंने कहा कि सि.प्र.सं. की धारा 92 के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है और मुकदमे की सुनवाई योग्य होने की चुनौती सुनवाई योग्य नहीं है।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रत्युत्तर में दिया गया तर्क

13. 10 अक्टूबर, 2023 के आदेश में दर्ज सहमति के मद्देनजर अपील की स्थिरता पर आपत्ति के जवाब में, अपीलार्थीयो के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सोसायटी में चुनाव कराने के लिए न्यायालय पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए सहमति दी गई थी। यह कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित आदेश के पैराग्राफ 20(ग) और 20(घ) में जारी निर्देशों के साथ-साथ

सोसायटी का प्रबंधन न्यायालय पर्यवेक्षक को सौंपने के लिए कोई सहमति नहीं थी। अपीलकर्ताओं ने न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा तैयार की गई सत्यापित सदस्यों/मतदाताओं की सूची के अनुसार एसजीबीएम और एजीएम आयोजित किए जाने पर भी अपनी स्वीकृति व्यक्त की।

न्यायालय के निष्कर्ष और निर्देशें

14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकार्ड का अवलोकन किया है। सुविधा के लिए, हमने आ.प्र.अ. (मू.प.)के रिकार्ड का उल्लेख किया है

15. हम शुरू में ही यह नोट कर सकते हैं कि 10 अक्टूबर, 2023 के विवादित आदेश के अनुपालन में न्यायालय पर्यवेक्षक ने सदस्यता लेखा परीक्षा किया है और लगभग 1835 सदस्यों की एक अस्थायी सदस्य/मतदाता सूची का सत्यापन किया है। इसके अलावा, न्यायालय पर्यवेक्षक को अलग-अलग 268 सदस्यों की स्थिति के संबंध में कुछ संदेह थे और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अंतर.सं. 5290/2024 दायर किया था। उक्त अंतर. संख्या 5290/2024 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने 05 मार्च, 2024 के आदेश के तहत निपटा दिया है, जिसमें न्यायालय पर्यवेक्षक को उक्त 268 सदस्यों से संबंधित स्थिति तय करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई है। 268 सदस्यों पर न्यायायलय पर्यवेक्षक के निर्णय के अधीन, इस न्यायालय के समक्ष सभी पक्ष सुनवाई के दौरान सहमत

हुए कि न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा तैयार सत्यापित सदस्यों/मतदाता सूची के आधार पर एसजीबीएम और एजीएम बुलाई जा सकती है।

16. अब हम इस दलील पर अपील की विचारणीयता के लिए प्रत्यर्थीगण की आपत्ति से निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे कि आक्षेपित आदेश 10 अक्टूबर, 2023 एक सहमति आदेश है।

17. आ.प्र.अ. ((मू.प.)120/2023 और आ.प्र.अ.((मू.प.)123/2023 में अपीलार्थी 23 मई, 2023 के प्रतिबंध आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जैसा कि 10 अक्टूबर, 2023 के विवादित आदेश के पैराग्राफ 20 (ग) में जारी है। प्रतिबंध 09 मई, 2023 और 10 जून, 2023 के अनुरोध नोटिस में [सदस्यों] द्वारा प्रस्तावित संगम ज्ञापन के लेखों में संशोधन के लिए एजेंडा आइटम लेने के खिलाफ जारी किया गया है। दिनांक 09 मई, 2023 और 10 जून, 2023 के मांग नोटिस में [सदस्यों] द्वारा प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के लेखों में संशोधन के लिए एजेंडा आइटमों को लेने के खिलाफ रोक जारी की गई है। दिनांक 09 मई, 2023 के मांग नोटिस पर 52 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और 10 जून, 2023 के मांग नोटिस पर लगभग 180 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16 (ग) (झ) के तहत, 50 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में मांग प्राप्त होने पर, सोसाइटी के अध्यक्ष का दायित्व है कि वे एसजीबीएम बुलाएं। संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16(ग)(झ) के तहत, 50 सदस्यों द्वारा लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर, सोसायटी के

अध्यक्ष को एसजीबीएम बुलाने का दायित्व है। आ.प्र.अ. (मू.प.)120/2023 में अपीलकर्ता ने 10 जून, 2023 की मांग के अनुपालन में एसजीबीएम बुलाने की अनुमति मांगते हुए आदेश XXXIX नियम 4 सि.प्र.सं. के तहत अंतर. संख्या 11575/2023 दायर किया था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने XXXIX नियम 1 और 2 सि.प्र.सं. के तहत दायर अंतर संख्या 10160/2023 में एसजीबीएम के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। दोनों ही अंतरिम आवेदनों का निपटान विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित आदेश के तहत किया गया है, जबकि प्रतिबंध जारी रखा गया है। उक्त आवेदनों का निपटारा और 23 मई, 2023 के प्रतिबंध आदेश की निरंतरता विशेष रूप से आदेश XLIII नियम 1(द) सि.प्र.सं. के तहत अपील योग्य है।

18. अपीलार्थीयों एसजीबीएम के आयोजन पर रोक लगाने के लिए 23 मई, 2023 के प्रतिबंध आदेश को जारी रखने पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। हमारा विचार है कि अपीलार्थी, जो आपस में पाँच सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 23 मई, 2023 या 10 जून, 2023 की सदस्य की मांग के अनुसार एसजीबीएम के आयोजन के विरुद्ध प्रतिबंध के लिए सहमति नहीं दे सकते थे, क्योंकि संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16(ग)(झ) के तहत उक्त दायित्व सोसायटी के सदस्यों को एसजीबीएम बुलाने का अधिकार देता है और सदस्य के उक्त अधिकार को मुकदमे के पक्षकारों द्वारा सहमति से कम नहीं किया जा सकता और न ही दरकिनार किया जा सकता है। जब तक याचिकाकर्ता सदस्यों द्वारा

मांग वापस नहीं ली जाती, सोसायटी के पदाधिकारी सोसायटी के नियमों के अनुसार एसजीबीएम बुलाने के लिए बाध्य हैं। जब तक याचिका दायर करने वाले सदस्यों द्वारा मांग वापस नहीं ली जाती है, तब तक सोसाइटी के पदाधिकारी सोसायटी के नियमों के अनुसार एसजीबीएम बुलाने के लिए बाध्य हैं।

19. न्यायालय याचिकाकर्ता सदस्यों के ऐसे अधिकार में केवल तभी कटौती कर सकता है, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एसजीबीएम आयोजित करना शासी अधिनियम या नियमों या किसी अन्य कानूनी प्रावधान या संगम ज्ञापन के धाराओं का उल्लंघन है। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 10 अक्टूबर, 2023 को दिए गए आदेश में कानून या संगम ज्ञापन के उल्लंघन का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है और इसलिए, एसजीबीएम को सहमति से रोका नहीं जा सकता था जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा आरोपित किया गया है। 23 मई, 2023 को प्रारंभिक आदेश पारित करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश के पास जो कारण थे, वे 10 अक्टूबर, 2023 को दिए गए आदेश के पारित होने की तारीख से अस्तित्व में नहीं थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एसजीबीएम बुलाने को उचित ठहराते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा 10 जून, 2023 को सदस्यों की वैध मांग को रिकॉर्ड में रखा गया है। इसलिए, हमें प्रत्यर्थियों के इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि अपिलार्थियों की कथित सहमति के कारण वर्तमान अपीलें स्वीकार्य नहीं हैं; और हम तदनुसार, अपीलों को गुण-दोष के आधार पर तय

करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए, हमें प्रत्यर्थीयों की प्रस्तुतियों में कोई ऐसी योग्यता नहीं प्राप्त होती जिससे अपीलार्थीयों की कथित सहमति के कारण वर्तमान अपील सुनवाई योग्य नहीं हैं; और हम, तदनुसार, योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं।

20. आ.प्र.अ. (मू.प.)120/2023 और आ.प्र.अ. (मू.प.)123/2023 में अपीलार्थीयों 10 जून, 2023 की वैध सदस्य(ओं) की मांग के अनुसरण में एसजीबीएम बुलाने की अनुमति मांग रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 8 सहित संगम ज्ञापन के अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव है। अपीलार्थीयों ने बहस के दौरान स्वीकार किया कि अगर एसजीबीएम न्यायालय पर्यवेक्षण द्वारा आयोजित किया जाता है और इस एसजीबीएम में मतदान और भागीदारी न्यायालय द्वारा सत्यापित मतदाताओं/सदस्यों तक सीमित है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

21 .वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने आ.प्र.अ. (मू.प.) 331/2023 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और 24 मई, 2023 को निर्धारित एसजीबीएम पर इस मुख्य आधार पर रोक लगाने की मांग की थी कि प्रभावी रूप से 48 सदस्यों ने 09 मई, 2023 की आवश्यकता पर हस्ताक्षर किए थे और नोटिस की अवधि संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16(घ) में परिकल्पित 15 दिनों की निर्धारित अवधि से कम थी।

22 . हमारा यह मानना है कि लगभग 180 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 10 जून, 2023 की नई मांग प्राप्त होने पर, शिकायत में 24 मई, 2023 को

निर्धारित एसजीबीएम पर मुख्य आपत्ति नहीं रहती है और उसे दूर कर दिया गया है। हमें सूचित किया गया है कि 116 मांगकर्ता सदस्यों [जिन्होंने 10 जून, 2023 की मांग पर हस्ताक्षर किए हैं] की सदस्यता को न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया गया है और वैध पाया गया है। इसलिए, 50 की न्यूनतम संख्या का अनुपालन करने के साथ, सोसायटी अनुच्छेद 16 (ग) (झ) के तहत उक्त मांग में प्रस्तावित एजेंडे के लिए एसजीबीएम बुलाने के लिए बाध्य है।

23. वाद में दूसरी आपत्ति यह थी कि 24 मई, 2023 को बुलाए गए एसजीबीएम के लिए नोटिस अपर्याप्त अवधि के लिए था और इस प्रकार, संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16 (घ) के विपरीत था। उक्त आपत्ति विचार के लिए मौजूद नहीं है क्योंकि 24 मई, 2023 की बैठक निश्चित रूप से आयोजित नहीं की गई थी। इस संबंध में उचित निर्देश जारी करके संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16 (घ) के तहत नोटिस अवधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।

24. इस तथ्य के मद्देनजर कि कार्यकारी समिति और बीओटी के सभी निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 09 जनवरी, 2024 को समाप्त हो गया है और अध्यक्ष ने भी पद छोड़ दिया है, अनुच्छेद 16 (ग) (झ) के अनुसार एसजीबीएम को बुलाने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी वर्तमान में सोसायटी में उपलब्ध नहीं है।

25. इसलिए, हम न्यायालय पर्यवेक्षक को निर्देश देते हैं कि वे मांग करने वाले सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एजेंडे के साथ एसजीबीएम को आमंत्रित करें। मांग

सूचना दिनांक 10 जून, 2023. न्यायालय पर्यवेक्षक एसजीबीएम को बुलाने, संयोजन और उसके आयोजन को विनियमित करने वाले संगम ज्ञापन के तहत नियमों के अनुसार एसजीबीएम के लिए कॉल करेगा।

25.1. यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त एसजीबीएम में भाग लेने के लिए पात्र सदस्य/मतदाता 1835 सदस्य [जो पहले से ही सत्यापित हैं] और अतिरिक्त सदस्य2, यदि कोई हो, होंगे, जिन्हें 5 मार्च, 2023 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अंतर. सं. 5290/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया गया है। न्यायालय पर्यवेक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह सत्यापन पूरा करे और उक्त सदस्यों की पात्रता का निर्धारण शीघ्रता से और अधिमानतः इस निर्णय से एक सप्ताह के भीतर करे।

25.2. आ.प्र.अ. (मू.प.) 120/2023 में प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 और 7 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि प्रत्यर्थी एसजीबीएम के लिए एक प्रस्तावित एजेंडा भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी संगम ज्ञापन के अनुसार एक सप्ताह के भीतर 50 सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक नया वैध मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो न्यायालय पर्यवेक्षण उक्त एजेंडे को आगामी एसजीबीएम में भी शामिल करेगा।

25.3. न्यायालय पर्यवेक्षक को 03 मई, 2024 को या उससे पहले एसजीबीएम निर्धारित करने और आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय पर्यवेक्षक संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16 (घ) के अनुसार सभी पात्र

सदस्यों/मतदाताओं को एसजीबीएम का नोटिस जारी करेगा। इसमें उल्लिखित नोटिस की सेवा के तरीकों के अलावा, आधुनिक तुलनात्मक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय पर्यवेक्षक सदस्य के मोबाइल नंबर और ई-मेल पते की उपलब्धता के अधीन, व्हाट्सएप, एसएमएस और ई-मेल सहित डिजिटल तरीकों से भी नोटिस जारी करेगा। यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त किसी भी एक तरीके से सदस्य को नोटिस की सेवा संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16 (घ) के अनुपालन के लिए पर्याप्त होगी।

26. हम यह देखना चाहेंगे कि एक सोसायटी में, उसके सदस्यों का गठन करने वाला आम सभा इसका सर्वोच्च अंग है। 1860 के अधिनियम की धारा 2 और 13 के तहत अपेक्षित अपने सदस्यों की व्यक्त इच्छा पर एक सोसायटी का गठन और भंग किया जाता है। शासी निकाय, जिसमें 1860 के अधिनियम की धारा 16 के अनुसार दूसरी ओर बीओटी और कार्यकारी समिति शामिल है, एक निकाय है, जिसे सोसायटी के मामलों के प्रबंधन के साथ सौंपा गया है और अधिक नहीं। आम सभा की बैठक की मांग करने और ऐसी बैठक में निर्णय लेने के सदस्यों के अधिकार में कार्यपालिका सदस्यों या अल्पसंख्यक सदस्यों या न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञा जारी करके हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जब तक न्यायालय से संपर्क करने वाली पार्टी आम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के लिए वैधानिक निषेध नहीं दिखा सकती है, तब तक न्यायालय के लिए प्रस्तावों के कार्यान्वयन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा देना खुला नहीं है।

वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2/वादी ने एसजीबीएम की होल्डिंग को पूर्व-खाली करने की मांग की है, जो कानूनन अस्वीकार्य है।

26.1. उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने ***भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य***[1] एक कंपनी और एक शेयरधारक द्वारा बुलाई गई एक सामान्य बैठक के संदर्भ में स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया कि बैठक के लिए बुलाने के लिए शेयरधारक के उक्त अधिकार को न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। प्रासंगिक पैरा के रूप में पढ़ा जाता है नीचे:

> *"**95.** एक कंपनी, कुछ मामलों में, राज्य की तरह एक संस्था है जो अपने "मूल संविधान" के तहत काम करती है जिसमें कंपनी अधिनियम और संगम ज्ञापन शामिल है। संवैधानिक कानून के सादृश्यता को थोड़ा आगे ले जाते हुए, गोवर व्याख्यित करता है "आम बैठक में सदस्यों" और निदेशालय को एक कंपनी के दो प्राथमिक अंगों के रूप में वर्णित करता है और उनकी तुलना संसदीय लोकतंत्र के विधायी और कार्यकारी अंगों से करता है जहां विधायी संप्रभुता संसद के साथ टिकी हुई है, जबकि प्रशासन कार्यकारी सरकार पर छोड़ दिया जाता है, सरकार के परिवर्तन को मजबूर करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से संसद द्वारा नियंत्रण के एक उपाय के अधीन। सरकार की तरह, निदेशक आम बैठक द्वारा गठित "संसद" के प्रति जवाबदेह होंगे। लेकिन व्यवहार में (फिर से सरकार की तरह), वे संसद पर उतना ही नियंत्रण रखेंगे जितना कि उन पर प्रयोग करता है। यद्यपि सामान्य बैठक में कंपनी के लिए कंपनी की सभी शक्तियों का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से*

संभव होगा, यह स्पष्ट रूप से व्यावहारिक नहीं होगा (एक या दो-व्यक्ति कंपनियों के मामले को छोड़कर) दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए मशीनरी के ऐसे बोझिल टुकड़े द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए आधुनिक प्रथा निदेशकों को कंपनी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करना है, सिवाय इसके कि सामान्य कानून स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सामान्य बैठक में प्रयोग किया जाना चाहिए। [आधुनिक कंपनी कानून के गोवर के सिद्धांत] निस्संदेह, जो शक्तियां पूर्णत विधायी हैं, वे निदेशकों को शक्तियां प्रदान किए जाने से प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि किसी अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए सामान्य बैठक में कंपनी के विशेष संकल्प की आवश्यकता होगी। लेकिन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कई मायनों में निदेशालय की स्थिति सरकार बनाम संसद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संसदीय संप्रभुता का सख्त सिद्धांत किसी कंपनी के सादृश्य द्वारा लागू नहीं होगा क्योंकि कंपनी अधिनियम के तहत, निदेशकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई शक्तियां हैं जिनके साथ सदस्य आम बैठक में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वे अधिक से अधिक यह कर सकते हैं कि निदेशालय को बर्खास्त कर दें और उनके स्थान पर दूसरों को नियुक्त करें, या भविष्य के लिए निदेशकों की शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेदों में परिवर्तन करें। गोवर स्वयं मानते हैं कि सामान्य बैठक में सदस्यों और एक कंपनी के निदेशकों के संबंध में विधायिका और कार्यकारी की समानता एक अति-सरलीकरण है और कहती है कि "कुछ हद तक एक अधिक सटीक सादृश्य संघीय संविधान के तहत संघीय और राज्य विधानमंडल के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। " <u>जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आम बैठक में सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से निदेशालय पर अपना नियंत्रण रखने का एकमात्र प्रभावी तरीका है कि वे भविष्य के लिए निदेशकों की शक्तियों को प्रतिबंधित करने या निदेशालय को बर्खास्त करने और</u>

<u>उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त करने के लिए अनुच्छेदों में बदलाव करें। निगम के अधिकांश शेयरों के धारकों के पास चुनाव द्वारा अपनी पसंद के निदेशकों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव द्वारा उन्हें विनियमित करने की शक्ति होती है। और, एक निदेशक को हटाने और दूसरे को नियुक्त करने के लिए आम बैठक के आयोजन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।</u>

....

100. इस प्रकार, हम देखते हैं कि कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक को वैधानिक रूप से निर्धारित प्रक्रियात्मक और संख्यात्मक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक असाधारण आम बैठक बुलाने का अधिकार है. <u>उसे एक को बुलाने से रोका नहीं जा सकता है बैठक और वह प्रस्तावों के कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है बैठक में पेश किए जाने का प्रस्ताव. न ही प्रस्तावों के कारण न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। यह सच है कि कंपनी अधिनियम की धारा 173 (2) के तहत, बैठक के नोटिस के साथ एक बयान संलग्न किया जाएगा, जिसमें बैठक में लेन-देन किए जाने वाले व्यवसाय के प्रत्येक मद से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से, चिंता की प्रकृति या ब्याज, यदि कोई हो, तो प्रत्येक निदेशक का, प्रबंध एजेंट यदि कोई हो, सचिव और कोषाध्यक्ष, यदि कोई हो, और प्रबंधक, यदि कोई हो। प्रबंधन का यह कर्तव्य है कि वह सामान्य बैठक के समक्ष आने वाले प्रस्ताव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक व्याख्यात्मक नोट में प्रकट करे, ताकि शेयरधारकों को उनके समक्ष आने वाले व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। **बैठक बुलाने वाले शेयरधारकों को उन प्रस्तावों के कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें वे बैठक में पेश करने का प्रस्ताव रखते हैं।*** एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरधारक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रत्येक शेयरधारक के समान अधिकार है कि वह कुछ निदेशकों को हटाने और उनके स्थान पर

अन्य लोगों को नियुक्त करने के लिए एक संकल्प उपस्थित करने के उद्देश्य से कंपनी की असाधारण आम बैठक बुला सके। भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है और न ही वह प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के अपने कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य है।"

(महत्त्व सन्निविष्ट)

26.2. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के संदर्भ में ***बंगाल सचिवालय सहकारी भूमि बंधक बैंक और हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम आलोक कुमार और अन्य[4]*** नामक अपने फैसले में सोसाइटी की आम सभा की सर्वोच्चता के हितकारी सिद्धांत को दोहराया और कहा कि जब तक अल्पसंख्यक सदस्य वैधानिक निषेध नहीं दिखा सकते, तब तक न्यायालय आम सभा के विवेक के आधार पर कब्जा नहीं जता सकता । संबंधित पैरा निम्नानुसार हैं:

*"**58.** प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि संपत्ति अच्छी स्थिति में है और मौजूदा इमारत के पुनर्विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विषय संपत्ति के पुनर्विकास के लिए सोसायटी के आम सभा के निर्णय को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, सहकारी समिति अधिनियम या नियमों या किसी अन्य कानूनी प्रावधान में कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जो सोसायटी के आम सभा द्वारा ऐसा करने का इरादा रखते समय संपत्ति के पुनर्विकास के लिए सोसायटी के अधिकार को कम करेगा। अनिवार्य रूप से, यह सोसायटी के आम सभा का वाणिज्यिक ज्ञान है. **अपीलीय प्राधिकारी के रूप में आम सभा के उक्त विवेक के आधार पर अपना अधिकार जताना न्यायालय आसान नहीं है. केवल***

इसलिए कि अल्पमत में एक भी सदस्य निर्णय को अस्वीकार करता है, यह आम सभा के निर्णय को नकारने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि निर्णय धोखाधड़ी या गलत बयानी का उत्पाद था या कुछ वैधानिक निषेध का विरोध किया गया था। *हमारे समक्ष यह शिकायत नहीं की गई है। हमारे सामने यह शिकायत नहीं की गई है। वर्तमान मामले में, आम सभा ने कई वर्षों तक विचार-विमर्श के बाद अपनी संपत्ति का पुनर्विकास करने का सचेत निर्णय लिया। डेवलपर के रूप में "हाईराइज" की नियुक्ति के संबंध में भी, रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह निर्णय सोसाइटी की आम सभा द्वारा डेवलपर्स से प्राप्त प्रस्तावों की सापेक्ष योग्यता की जांच करने के बाद लिया गया था।*

59. *प्रावधान के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।* ***संपूर्ण विधायी योजना यह दर्शाती है कि सहकारी सोसाइटी लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करती है और अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के अनुसार पारित संकल्पों सहित समाज के आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।*** *सहकारी आंदोलन जीवन का सिद्धांत और व्यवसाय की प्रणाली दोनों है। यह स्वैच्छिक संघ का एक रूप है जहां व्यक्ति इक्विटी, कारण और सामान्य अच्छे के सिद्धांतों पर धन के उत्पादन और वितरण में पारस्परिक सहायता के लिए एकजुट होते हैं। यह वितरणात्मक न्याय के लिए खड़ा है और समानता और इक्विटी के सिद्धांत पर जोर देता है, जो धन के उत्पादन में लगे सभी लोगों को उनके योगदान की डिग्री के साथ आनुपातिक रूप से एक हिस्सा सुनिश्चित करता है। यह भौतिक संपत्ति, ईमानदारी और नैतिक दायित्व की भावना के विकल्प के रूप में प्रदान करता है और भौतिक मंजूरी के बजाय नैतिक को ध्यान में रखता है। इस प्रकार आंदोलन एक महान सहकारी आंदोलन है।*

(महत्व सन्निविष्ट)

27. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, यद्यपि निगमित कंपनी और सहकारी समिति के संदर्भ में दिए गए हैं, लेकिन वे प्रत्यर्थी संख्या 3, सोसायटी पर समान रूप से लागू होते हैं। सहमति पत्र का अनुच्छेद 9(क) स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3, सोसायटी की आम सभा भारत इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र का सर्वोच्च प्राधिकारी है। अनुच्छेद 9(क) इस प्रकार है::

*"9. **आम सभा***

केंद्र का आम सभा निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

(क)आम सभा केंद्र का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा।"

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2/वादी तथा प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 और 7/प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 6 का तर्क है कि अनुरोधकर्ता सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संगम ज्ञापन [विशेष रूप से अनुच्छेद 8(घ)] में संशोधन सोसायटी के हितों के विरुद्ध है, क्योंकि इसका उद्देश्य अपीलकर्ता अर्थात श्री सिराजुद्दीन कुरैशी के अध्यक्ष पद को कायम रखना है अथवा वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुपयुक्त/अवांछनीय हैं, ये ऐसे तर्क हैं, जो हमारी राय में एस.जी.बी.एम. को रोकने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं बनाते हैं।

27.1. अनुच्छेद 8 (घ) सहित संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में प्रस्तावित संशोधनों पर एसजीबीएम में विचार-विमर्श और मतदान किया जाएगा। सोसाइटी के सदस्य अपने विवेकानुसार उक्त संशोधनों के पक्ष या विपक्ष में मतदान करेंगे। प्रत्यर्थी इस न्यायालय को क़ानून या नियमों या उप-कानूनों के किसी भी प्रावधान को दिखाने में विफल रहे हैं जो प्रस्तावित संशोधनों को प्रतिबंधित

करता है। वैधानिक प्रावधान के अभाव में, प्रत्यर्थीयों को एसजीबीएम को लागू करने और एजेंडा को पेश करने का विरोध करते हुए नहीं सुना जा सकता है। प्रत्यर्थियों को अपनी राय व्यक्त करने और साथी सदस्यों को मनाने के लिए आम सभा की बैठक में भाग लेने के अपने अधिकार का लाभ उठाना होगा। हालाँकि, न्यायालय उक्त बैठक के आयोजन पर रोक नहीं लगा सकता है।

27.2. इसी कारण से, यदि अपीलार्थी, अर्थात, श्री सिराजुद्दीन कुरैशी एसजीबीएम में पारित प्रस्ताव के आगे संगम ज्ञापन के संशोधन के बाद चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाते हैं, तो प्रत्यर्थियों को संगम ज्ञापन में प्रदान किए गए तरीके से चुनाव में उनका विरोध करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। अपीलार्थी की उम्मीदवारी के लिए किसी भी कानूनी निषेध के अभाव में, इस न्यायालय का विचार है कि किसी भी पद को धारण करने के लिए अपीलार्थी की अनुपयुक्तता या अवांछनीयता विशेष रूप से आम सभा के सदस्यों के डोमेन में एक मामला है। अपीलार्थी के प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2/वादी और प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 और 7 की अस्वीकृति एसजीबीएम के आयोजन के खिलाफ न्यायालय के निषेधाज्ञा का आधार नहीं बन सकती है।

28. प्रारंभ में, प्रतिभागी प्रत्यर्थियों ने कहा था कि संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में संशोधन केवल अनुच्छेद 12(च) के अनुसार बी ओ टी द्वारा किया जा सकता है। हमारा विचार है कि उक्त तर्क स्पष्टत: संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16(ड.)(झ) के विपरीत है, जो संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों को संशोधित करने, रूपांतरित

करने या बदलने की शक्ति आम सभा को प्रदान करता है। अनुच्छेद 12(च) में संदर्भित बी.ओ.टी. के पास उप-नियमों में संशोधन करने की शक्ति संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 12(ड.) के तहत बी.ओ.टी. द्वारा तैयार किए गए उप-नियमों में संशोधन के संबंध में है। इसलिए, अनुच्छेद 12(च) पर प्रतिभागी प्रत्यर्थीयों द्वारा रखा गया भरोसा पूरी तरह से गलत है। अनुच्छेद 12(ड.), 12(च) और 16(ड.)(झ) का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार है:

"12. ***न्यासी बोर्ड के अधिकार, शक्तियां और कर्तव्य***

...

(ड.) बोर्ड को निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपविधियां बनाने की शक्ति होगी:-

...

(च) केवल बोर्ड को ही उपनियमों के निरसन, संशोधन और उपांतरित करने की शक्ति होगी।

...

16. ***अधिवेशन***

...

(ड.) ***अधिवेशन -चुनाव सहित कार्य की प्रकृति***

*(ड.)**आम सभा** - आम सभा बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने, कार्यकारी समिति के सदस्यों और न्यासी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने और विचार के लिए न्यासी बोर्ड को सुझाव जारी करने के लिए बैठक करेगा; संगम ज्ञापन और केंद्र के नियमों और विनियमों के लेखों को संशोधित करने, संशोधित करने या बदलने के लिए, बशर्ते कि सभी श्रेणियों के न्यूनतम 75% सदस्य (मानद और सहयोगी सदस्यों को छोड़कर) ऐसे*

सदस्य की सामान्य सभा की विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में उपस्थित हों, इन परिवर्तनों के लिए मतदान करें।

28.1. सबसे पहले, संगम ज्ञापन का अनुच्छेद 12(ड.) बीओटी को खंड (i) से (ix) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उपनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 (च) में प्रावधान है कि उपनियमों को निरस्त करने, संशोधित करने और संशोधित करने की शक्ति केवल बीओटी में निहित होगी। अनुच्छेद 12 (च) के तहत बीओटी की शक्ति की विशिष्टता अनुच्छेद 12 (ड.) के तहत तैयार किए गए उपनियमों के संबंध में है। प्रत्यर्थीयों का यह स्वीकार्य पक्ष[5] है कि सोसायटी के इतिहास में अनुच्छेद 12(ड.) के अनुसरण में बीओटी द्वारा कोई उपनियम नहीं बनाए गए हैं। 10 जून, 2023 की मांग संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव करती है और उपनियमों का कोई संदर्भ नहीं देती है। इसलिए, प्रत्यर्थीयों द्वारा संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 12(च) पर निर्भरता गलत है। बीओटी के अधिकार, शक्तियाँ और कर्तव्य अनुच्छेद 12(क) से (छ) में विस्तार से और व्यापक रूप से निर्धारित किए गए हैं। उक्त अनुच्छेद में बीओटी को अनुच्छेदों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है।

28.2. दूसरा, प्रत्यर्थीयों का वैकल्पिक तर्क कि आम सभा की बैठक में संगम ज्ञापन के लेखों में संशोधन का प्रस्ताव संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 16 (ड.) (झ) के अनुसार विचार के लिए बीओटी को एक मात्र सुझाव है, असमर्थनीय है।

अभिव्यक्ति '*न्यासी बोर्ड को विचार के लिए सुझाव जारी करना* और अभिव्यक्ति '*संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों और केंद्र के नियमों और विनियमों में संशोधन, संशोधन या परिवर्तन करना* स्वतंत्र और असंबद्ध हैं क्योंकि वे एक अर्धविराम द्वारा अलग किए जाते हैं। किसी विषय के बाद किसी अनुच्छेद के प्रारूपण में विराम चिह्न अर्धविराम का उपयोग और प्रभाव न्यायिक रूप से उक्त विषय को अलग बनाने और उसके बाद आने वाले विषय से असंबंधित बनाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में, ***जयंत वर्मा बनाम भारत संघ***[6] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा। प्रत्यर्थीयों का तर्क, यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो बीओटी में शक्तियां निहित हो जाएंगी, जो अनुच्छेद 12 में परिकल्पित नहीं हैं और अनुच्छेद 9 के अधिदेश के विपरीत है जिसमें दर्ज है कि आम सभा सोसायटी का सर्वोच्च प्राधिकारी है और साथ ही कानूनी सिद्धांत है कि आम सभा सर्वोच्च है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

29. प्रतिभागी प्रत्यर्थीयों ने वैकल्पिक तर्क देते हुए कहा कि आम सभा द्वारा अनुच्छेद 16(ड.)(झ) के तहत संगम ज्ञापन में संशोधन, संशोधन या परिवर्तन प्रस्तावित करने के बाद, ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति और विचार के लिए बीओटी के समक्ष रखा जाना चाहिए। और आम सभा द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित संशोधनों, संशोधनों या परिवर्तनों की स्वीकृति के लिए अंतिम मध्यस्थ बीओटी ही होगा। इसके लिए, प्रतिभागी प्रतिवादियों ने वर्ष 1993 की पिछली घटना का

हवाला दिया, जब इसी तरह, संगम ज्ञापन में संशोधन किया गया था और संशोधन बी ओ टी द्वारा प्रभावित हुए थे। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है::

*"**भारत इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र, दिल्ली***

(आजीवन सदस्यों की आम सभा की अपेक्षित बैठक में 8-8-1993 को अपनाए गए संकल्प के आधार पर संशोधित किया गया, और 14-8-93 को आयोजित भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया) और अंततः 19.9.93 को आयोजित आजीवन सदस्यों की आम सभा की बैठक में इसका समर्थन किया गया;

29.1. हम प्रत्यर्थीयों के इस वैकल्पिक तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह एक सोसायटी के कामकाज के मौलिक लोकाचार के खिलाफ है। प्रत्यर्थीयों के तर्क का संगम ज्ञापन या कानून के मौजूदा अनुच्छेदों में कोई आधार नहीं है। मौजूदा संगम के तहत, अनुच्छेद 9 के अनुसार आम सभा में अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र सदस्य शामिल हैं। बीओटी का गठन और संरचना अनुच्छेद 10 में निर्धारित की गई है, जिसमें उनके बीच आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य और भारत सरकार द्वारा दो (2) नामित सदस्य शामिल हैं। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत एक कार्यकारी समिति के गठन पर भी विचार किया गया है जिसमें पुन आम सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल हों। हालांकि, अनुच्छेद 9, 10 और 11 के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि बारहमासी और निरंतर निकाय केवल आम सभा है, जबकि बीओटी और कार्यकारी समिति में निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल हैं जिनका कार्यकाल

एक निश्चित अवधि के लिए है और समय के प्रवाह से समाप्त हो जाता है। बीओटी और कार्यकारी समिति दोनों चुनाव या नामांकन द्वारा गठित किए जाते हैं और इसलिए, आम सभा की खुशी पर काम कर रहे हैं। बीओटी को अनुच्छेद 16 (ड.) (झ) के अनुसार आम सभा द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेदों में किसी भी संशोधन, रूपांतरण या परिवर्तन को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

29.2. प्रतिभागी प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 1993 के जी.बी.एम. संकल्प के अनुसरण में संगम ज्ञापन में संशोधनों को शामिल करने के लिए सोसायटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर भरोसा करना, उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। उपर्युक्त प्रासंगिक उद्धरण से पता चलता है कि जब 08 अगस्त, 1993 को जी.बी.एम. में प्रस्ताव को अपनाया गया तो इसे 14 अगस्त, 1993 को बी.ओ.टी. द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 19 सितम्बर, 1993 को जी.बी.एम. में पुनः इसका समर्थन किया गया। इसलिए, अंतिम निर्णय केवल जीबीएम के पास था। 1993 में अपनाई गई प्रक्रिया, जैसा कि आगे चर्चा की गई है, तर्कसंगत है। एक बार जब आम सभा के अनुच्छेदों में संशोधनों को मंजूरी दे देती है, तो बीओटी को संगम ज्ञापन के पाठ में उक्त प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करके आम सभा के संकल्प को लागू करना होता है, और चूंकि बीओटी सोसायटी की कार्यकारी शाखा है, इसलिए उसे संगम ज्ञापन के पाठ में संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, कानून में बीओटी आम सभा द्वारा

प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है। प्रतिभागी प्रत्यर्थीयों द्वारा संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 12 (च) के संदर्भ का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए, हमें प्रतिभागी प्रत्यर्थीयों के इस कथन में कोई दम नजर नहीं आता कि आम सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन बीओटी द्वारा इसकी स्वीकृति के अधीन हैं।

30. किसी भी स्थिति में, आज की स्थिति यह है कि बीओटी और कार्यकारी समिति के सभी निर्वाचित सदस्य 09 जनवरी, 2024 को पद छोड़ चुके हैं और एकमात्र मौजूदा निकाय आम सभा है।

30.1. इसलिए, यह जरूरी है कि एसजीबीएम जल्द से जल्द आयोजित किया जाए[7] और इसके सदस्यों द्वारा अनुच्छेदों में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय के बाद, चुनाव आयोजित करने के लिए एजीएम एसजीबीएम में लिए गए निर्णय के अनुरूप तुरंत आयोजित की जाती है।

30.2. न्यायालय पर्यवेक्षक ने सि.वि.आ. 11869/2024 दायर कर बीओटी और कार्यकारी समिति के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए एजीएम आयोजित करने की अनुमति मांगी है। हम निर्देश देते हैं कि न्यायालय पर्यवेक्षक एसजीबीएम के बाद 30 दिनों के भीतर चुनाव के उद्देश्य से एजीएम आयोजित करेगा, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है।

30.3. इस निर्णय से एक सप्ताह के भीतर फ्रीज किए गए सदस्यों/मतदाताओं की सूची भी एजीएम बुलाने का आधार होगी।

30.4. इसके तुरंत बाद सोसाइटी का प्रशासन न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा।

***आ.प्र.अ.(मू.प.)* 110/2023**

31. इस अपील में, अपीलार्थी, अर्थात, श्री जमशेद जैदी आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 20 (घ) में जारी वित्तीय लेखा परीक्षा के निर्देश से व्यथित हैं।

32. वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए आक्षेपित निर्देश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वादी द्वारा दायर अंतर.आ. सं. 12600/2023 का निपटान करते हुए पारित किया गया था।

33. वादी ने आवेदन[8] दायर किया है इससे पहले कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अंतर.आ. 12600/2023 पर उनके द्वारा दबाव नहीं डाला गया था और इसलिए, अंतर.आ. का उल्लेख दर्ज करने के लिए आक्षेपित आदेश को सही किया जाए।

34. तदनुसार, हमने अंतर.आ.संख्या 12631/2023 में वादी द्वारा मांगी गई प्रार्थनाओं का अवलोकन किया है। उक्त आवेदन और उसमें मांगी गई राहत के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि उक्त आवेदन में वित्तीय लेखा परीक्षा के निर्देश के लिए कोई राहत नहीं मांगी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए कोई निर्देश जारी करने के लिए कोई कारण या आधार दर्ज नहीं किया है।

35. पूर्वोक्त तथ्यों में, हम अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में योग्यता पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए सोसायटी के वित्तीय लेखा परीक्षा का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था, जो अन्यथा प्रार्थना (ख) में वाद में मांगी गई अंतिम राहत भी है। हम तदनुसार, वित्तीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए उक्त आक्षेपित निर्देश को रद्द करते हैं जैसा कि पैराग्राफ 20 (घ) में आक्षेपित आदेश में निर्देशित है। न्यायालय प्रेक्षक को वित्तीय लेखा परीक्षा के संचालन के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है।

36 . हम आगे ध्यान देते हैं कि सोसाइटी के मामलों को चलाने के लिए प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रार्थना अंतर.आ. सं. 12600/2023 की प्रार्थना (क) में वादी द्वारा की गई राहत थी। उक्त आवेदन पर वादी द्वारा जोर नहीं दिया गया था और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रशासक की नियुक्ति जैसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था। तथापि, बीओटी के पदाधिकारियों के पदत्याग करने के कारण सोसायटी का प्रबंधन न्यायालय पर्यवेक्षक द्वारा किया गया है। आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 20 (ज) में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि सोसाइटी के प्रबंधन को नव निर्वाचित बीओटी को सौंप दिया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनाव कराने के लिए एसजीबीएम और एजीएम ऊपर जारी निर्देशों के अनुसार यथाशीघ्र आयोजित किए जाएं ताकि बीओटी और कार्यकारी समिति का गठन किया जा सके।

37. हम आगे ध्यान दें कि आदेश VII नियम 11^{9} के तहत दो अलग-अलग आवेदन वाद की अस्वीकृति के लिए अलग-अलग प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश से उक्त आवेदनों पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

38. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, पैराग्राफ 20 (ग) में आक्षेपित आदेश में निहित संयम को एतद्द्वारा खाली कर दिया जाता है और पैराग्राफ 20 (घ) में दिए गए निर्देश को अलग रखा जाता है। उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है।

39. वर्तमान निर्णय में निहित निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार दिनांक 03 मई, 2024 को या उससे पहले एसजीबीएम बुलाने और आयोजित करने तथा उसके बाद 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोजित करने के लिए एजीएम बुलाने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

न्या.मनमीत

प्रीतम सिंह अरोड़ा

कार्यवाहक मुख्य

न्यायाधीश

अप्रैल 02, 2024/एचपी/एमएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*